तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15.3.18	पत्रावली वास्ते निर्णय उपस्थित हुयी। वकील उभय पक्ष उप/पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि उभय पक्षों का न्यायालय सामा द्वारा दिनांक 3-11-95 को सरकार द्वारा अन्तर्गत धारा 145(1) दं प्र सं निर्देशों के साथ की उपखण्ड अधिकारी दंपं आंवली के समक्ष मौके पर शांति व्यवस्था की जाय करी और यदि आंवली कार्यालय अवधि का कब्जा लेने का इच्छुक हो तो उसे कब्जा दिलाने के निर्देश के साथ अन्तर्गत धारा 145(4) दंप्रसं स्थायित्व रखा हो आंवली दंपं अगर इच्छुक हो तो उभय आदेश की प्राप्ति संबंधित उपखण्ड अधिकारी से करने के लिए स्वतंत्र हो अतः पत्रावली की आगामी कार्यवाही पैरवी की गयी हो पत्रावली तलब से कब होकर हाजिर हो।